

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::




GM (J)
P. Singh
20.11.2019

क्र. एफ 16 - 13/2019/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स श्रीराम पिस्टन एण्ड रिंग्स लि. द्वारा स्मार्ट औद्योगिक पार्क, पीथमपुर जिला धार में आटो कम्पोनेंट निर्माण परियोजना की स्थापना संबंधी स्वीकृत प्रस्ताव के पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को विचारोपरांत अमान्य करते हुये निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति की बैठक दिनांक 12/06/2019 में लिये गये निर्णय तथा उसके अनुपालन में जारी सुविधा स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ 16-13/2019/ए-ग्यारह दिनांक 24/06/2019 को यथावत रखा जाता है।

JE
JP
20/11

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार


(डॉ. राजेश राजोरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
भोपाल, दिनांक 27/11/2019

पृ.क्र. एफ 16 - 13/2019/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
5. कलेक्टर, जिला इन्दौर।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स श्रीराम पिस्टन एण्ड रिंग्स लि., 23 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग